राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

टैक्सी वाहन व मालवाहक वाहनों की आपूर्ति हेतु चतुर्थ निविदा

राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। जिसमे आवागमन हेतु राज्य कार्यालय में लगभग 7–8 वाहन तथा विभाग के अंतर्गत अन्य संचालनालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु लगभग 15 से 20 वाहन की आवश्यकता होती है। सभी वाहनों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दर अनुसार ही वाहन किराये पर ली जाती है। जिसका वार्षिक संभावित व्यय लगभग 60–70 लाख रुपये होता है। अतः निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें।

साथ ही संचालनालयो के अंतर्गत राज्य कार्यालय से समय–समय पर सामग्री, रजिस्टर, पोस्टर, दवाई एवं उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुचाने हेतु वाहनों की आवश्कता होती है ।

इन सभी आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इच्छुक फर्म से निम्न बिंदु आधार पर निविदा आमत्रित की जाती है ।

राज्य कार्यालय तथा विभाग के अंतर्गत अन्य संचालनालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु टैक्सी वाहन किराये पर लिये जाने हेतुः–

A- टैक्सी वाहन हेतु तकनीकी मूल्यांकन न्यूनतम अर्हताः–

1. निविदाकर्ता फर्म के पास न्यूनतम वाहन संख्या(टैक्सी परमिटयुक्त) 10 होनी चाहिए, जिसमे से न्यूनतम 03 वाहन निविदाकर्ता, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से पंजीकृत होना चाहिए। (परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
2. निविदाकर्ता फर्म की एक शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हो। (कार्यालय के नाम से बैंक पास बुक, बिजली बिल इत्यादि की छायाप्रति संलग्न करें।)
3. निविदाकर्ता का GST पंजीयन होना चाहिए।**(यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों।)** तो कर विभाग द्वारा जारी किये गए GST पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. निविदाकर्ता का पंजीयन छ. ग. शासन के परिवहन विभाग में होना चाहिए। (परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
5. निविदाकर्ता फर्म की विद्यमानता(Existence) निविदा दिनांक के पूर्व से न्यूनतम 03 वर्ष होना चाहिए। (नगर निगम/कंपनी/फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. संस्था में वाहन चालकों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, जिनका वैध वाहन चालक अनुज्ञा होनी चाहिए। (अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. कार, जीप इत्यादि किराये के वाहन परिचालन सम्बन्धी न्यूनतम वार्षिक औसत सकल प्राप्ति रु. 50 लाख होना चाहिए। (गत 3 वित्तीय वर्ष का औसत) [CA सर्टिफिकेट/ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।]
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। [संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें]

नियम एवं शर्तें:–

1. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 1000/–का बैंक ड्राफ्ट राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायपुर छत्तीसगढ़ के पक्ष में देय होगा। जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।
2. प्रतिमाह किराया दर में वाहन 3000 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। L–1 का चयन 3000 कि.मी. स्लेब को आधार मानकर किया जावेगा ।
3. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. प्रति दिवस किराया दर या प्रतिमाह दर में 3000 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा, जिसमें पेट्रोल/डीजल चयनित संस्था स्वंय द्वारा देय होगा।
4. अमानत राशि रू. 1,50,000/– राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के नाम से रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और निविदा अवधि की सेवाएं संतोषप्रद ढ़ंग से समाप्ति के उपरांत वापस की जावेगी। उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
6. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
7. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार अद्यतन होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा(कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।
8. अनुबंधित वाहन मिशन संचालक, विभागाध्यक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ इत्यादि रायपुर के कार्यालय के आधिपत्य में रहेगा।
9. वाहन चालक का (भत्ता, भोजन, रुकने) व्यय संबंधित चयनित संस्था द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर चयनित संस्था को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी, तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी चयनित संस्था की होगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा।
10. वाहन की मरम्मत, रख–रखाव एवं अन्य समस्त खर्चे चयनित संस्था द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने, दुर्घटना होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा चयनित संस्था द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में चयनित संस्था द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व चयनित निविदाकर्ता फर्म की होगी।
11. आवश्यकतानुसार वाहन पर सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था निविदाकर्ता फर्म को करना होगा।
12. किराए पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।
13. वाहन की लॉग बुक/लॉगकार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉगबुक/लॉगकार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा।
14. देयक तीन प्रतियों में लॉगबुक/लॉगकार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान PFMS/चेक के माध्यम से आवश्यक परीक्षण उपरांत किया जावेगा। निविदाकर्ता फर्म अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।